राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/शिका.) विभाग

क्रमांकः प. 2 (157) कार्मिक/क–3/97 जयपुर, दिनांकः 3.6.2006

परिपत्र

विषय :– राजसेवकों को आपराधिक प्रकरणों में निलम्बन से बहाली के संबंध में निर्देश।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.8.2001 द्वारा यह दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये थे कि फौजदारी प्रकरण में निलम्बित राजसेवक को तब तक निलम्बन से बहाल नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित राजसेवक को उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में लम्बित फौजदारी प्रकरण में दोषमुक्त नहीं कर दिया जाएगा।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि ऐसे प्रकरणों में राजसेवकों द्वारा उनके विरूद्ध दर्ज एफ.आई.आर./प्रसारित अभियोजन स्वीकृति आदेश/न्यायालय द्वारा लिया गया प्रसंज्ञान आदेश को अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी जाकर तत्संबंधी अग्रिम कार्यवाही पर कभी–कभी स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जाता है। इस कारण यद्यपि उस प्रकरण में अनुसंधान/फौजदारी न्यायालय की कार्यवाही तो स्थगित हो जाती है परन्तु, स्वयं राजसेवक तत्पश्चात् भी निलम्बित बना रहता है। इस प्रकार के निलम्बन को निरन्तर रखने का औचित्य नहीं रहता है।

इस सन्दर्भ में उक्त परिपत्र के आंशिक अधिक्रमण में निर्देश दिये जाते है कि किसी राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुसंधान/फौजदारी प्रकरण में न्यायालय की कार्यवाही पर स्थगन प्रसारित होने की स्थिति में उस राजसेवक को निलम्बन से बहाल कर दिया जावे। इस प्रकार की बहाली उक्त स्थगन आदेश के प्रभावी रहने तक ही होगी और उसके निरस्त होते ही राजसेवक के पुनः निलम्बन के आदेश जारी किए जा सकेंगे।

शासन सचिव

समस्त शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
समस्त संभागीय आयुक्त एवं
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर्स सहित)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

3/6/06
शासन उप सचिव